परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह 75% उपस्थिति पूरी नहीं करता। संकाय अध्यक्ष/प्राचार्य/कुलपति महोदय द्वारा विशेष परिस्थितियों में दी गई छूट के बाद भी बार काउंन्सिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार किसी भी छात्र की 66% से कम उपस्थिति नहीं होनी चाहिए।

(7) जो छात्र/छात्रायें महाविद्यालय में विधि प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेंगे उनका प्रवेश किसी अन्य महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं होगा। उन्हें इसी महाविद्यालय से विधि की उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(8) विधि तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नये नियमों के अनुसार दिया जायेगा।

7. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों पी0जी0डी0जे0एम0सी0, पी0जी0डी0टी0एच0, बी.एससी. (आई0टी0), एम0ए0 (मास कम्युनिकेशन) व एम0ए0 (एजूकेशन) में प्रवेश हेतु अर्ह कक्षा के न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य है। प्रवेश मेरिट आधारित होंगे। शुल्क व प्रवेश प्रक्रिया व अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित विभाग में सम्पर्क करें। **इस विभाग द्वारा त्रैमासिक 'डी.ए.वी.' न्यूज लैटर नियमित प्रकाशित किया जाता है।**

8. मेरिट आधारित प्रवेश (ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा)

पहले छात्रों को मेरिट फार्म भरकर जमा करना होगा। मेरिट में स्थान पाने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्नातकोत्तर स्तर पर ऐसे आवेदन फार्म निरस्त कर दिये जायेंगे जिसमें स्नातक स्तर के समस्त सेमेस्टर/वर्षों की अंक तालिकाओं के लिखित तथा प्रायोगिक/मौखिक पूर्णांक तथा प्राप्तांक अलग-अलग नहीं दर्शाए गए होंगे। मेरिट द्वारा प्रवेश हेतु एक प्रवेश समिति होगी जो निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्राप्त मेरिट व प्रवेश आवेदन-पत्रों के आधार पर लिस्ट तैयार करायेगी। मेरिट लिस्ट तथा वेटिंग लिस्ट निर्धारित तिथि तक नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर लगा दी जायेगी। प्रत्याशी इस लिस्ट को देखना स्वयं सुनिश्चित करेंगे। प्रत्याशियों को लिस्ट में निर्दिष्ट तिथि, समय व स्थान पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जिसमें उनकी प्रमाण पत्रों आदि का सत्यापन तथा विषय में उनकी अभिरुचि का आंकलन किया जायेगा। प्रवेश समिति को अधिकार होगा कि विशेष परिस्थितियों में मेरिट में नाम होने के बाद भी प्रवेश देने से इन्कार कर दे। साक्षात्कार के समय सभी अभिलखों की मूल प्रति दिखाना अनिवार्य होगा।

अपने आवेदन-पत्र के साथ अर्ह परीक्षा की अंक-तालिकाओं की स्वसत्यापित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें।

अधूरे भरे आवेदन-पत्र जिनके साथ वांछित संलग्नक नहीं लगे हैं, निरस्त कर दिये जायेंगे।

मेरिट तैयार करने में पूरी सावधानी बरती जाती है, किन्तु फिर भी यदि कोई त्रुटि किसी समय भी ज्ञात होती है तो उसे दूर किया जायेगा, चाहे इससे किसी प्रत्याशी की मेरिट पर कोई भी प्रभाव पड़ता हो। त्रुटिवश मेरिट सूची में आया कोई नाम प्रवेश का हकदार नहीं होगा। उसे किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रवेश समिति को होगा।

यदि 'मेन लिस्ट' के प्रत्याशियों के प्रवेश के बाद रिक्त रहते हैं तो 'वेटिंग लिस्ट' के प्रत्याशियों को अवसर दिया जायेगा। वेटिंग लिस्ट एक से अधिक भी हो सकती है जो सीटें रिक्त होने पर क्रमशः घोषित की जायेगी।

सभी संकायों की स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु सूची में नाम आने पर यदि निर्धारित तिथि तक छात्र प्रवेश नहीं लेता है तो उसका दावा समाप्त हो जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से सम्पर्क किया जा सकता है।

Note: The college shall have the right to deny admission or cancel the admission granted to an applicant without assigning any reason.

9. आरक्षण

(क) प्रत्येक कक्षा में **उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान उत्तराखण्ड शासनादेश सं0 1144/कार्मिक-2-2001-53(1) 2001 दिनांक 18 जुलाई 2001 जिसको शासनादेश संख्या 1968/XXX(2)2006 दिनांक 24 जुलाई 2006 व शासनादेश दिनांक 27.10.2017 द्वारा संशोधित किया गया द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप होगा।** तदनुसार अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जन जाति 4%, अन्य पिछड़े वर्ग(नॉन क्रीमी लेयर) 14%। इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों में निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण देय होगा, महिलाएँ/छात्राएँ 30%, भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों 2%, दिव्यांग 5%, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित 2%। आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत करें।

(ख) प्रत्येक कक्षा के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में अधिकतम 5 अंकों की छूट दी जायेगी। बशर्ते विश्वविद्यालय द्वारा किसी कक्षा हेतु न्यूनतम अंक निर्धारित न किये हों। **EWS श्रेणी का 10% आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा में सीटें बढ़ाने पर ही अनुमन्य होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश में आरक्षण का लाभ महाविद्यालय द्वारा तभी दिया जायेगा जबकि उनका संबंधित श्रेणी का आरक्षण प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड के किसी जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। किसी अन्य राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र प्रवेश में आरक्षण का लाभ देने हेतु मान्य नहीं होगा।**

10. प्रवेश हेतु अधिमानित अंक (वेटेज)

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड की खण्डपीठ के आदेश सं 350/2016 के आधार पर निम्न प्रकार वरीयता अंक (वेटेज) दिये जायेंगे:

'क' श्रेणी (Category 'A') (स्वयं द्वारा अर्जित) कुल अधिकतम 5% (केवल सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर)

1. **खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र/छात्रा (कुल अधिकतम 5%)**
   (i) राज्य/जोनल 3%
   (ii) राष्ट्रीय स्तर 5%